



दिनांक 31.12.2025

प्रेस विज्ञप्ति 59 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ०प्र० की लखनऊ इकाई द्वारा की गयी टैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ०प्र०, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, श्री राजीव कृष्ण के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ०प्र० द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 31.12.2025 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ इकाई** द्वारा गणेश शंकर निवासी पूरेदीन थाना लालगंज जनपद रायबरेली से पैमाइश की रिपोर्ट को पुनः सही रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री अरुणेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में तहसील परिसर लालगंज जनपद रायबरेली से **राजस्व निरीक्षक गम्भीर सिंह (तैनाती क्षेत्र लालगंज तहसील लालगंज जनपद रायबरेली)** पुत्र स्व० जगदम्बा बक्श सिंह निवासी ग्राम रूपामऊ थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली को **05 हजार रुपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।



दिनांक 31.12.2025

प्रेस विज्ञप्ति 60 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना रामपुर

- 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 31.12.2025 को थाना रामपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैरियाडीह पुल शमशान घाट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सैफ अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना रामपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सैफ अली निवासी लखनौर थाना रामपुर जनपद मऊ।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अनूपशहर

- 25—25 हजार रुपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- लूट के 13 लाख 30 हजार रुपये नगद
- भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण, सिक्के
- 03 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 31.12.2025 को थाना अनूपशहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मखैना नहर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त

1—इन्द्रपाल उर्फ तारु उर्फ गुडडू 2—याकेश उर्फ छोटू सहित अभियुक्त 3—यशपाल उर्फ राजा 4—सचिन 5—संजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 13 लाख 30 हजार रुपये नगद, भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण, सिक्के, 03 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.12.2025 को थाना अनूपशहर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अनूपशहर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपया आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त यशपाल के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़ व कानपुर के विभिन्न थानों में डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त याकेश के विरुद्ध जनपद अलीगढ़, नोएडा के विभिन्न थानों में डकैती, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त सचिन के विरुद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानों में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 04 अभियोग, अभियुक्त इन्द्रपाल उर्फ तारु के विरुद्ध जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर, मथुरा, कमिश्नरेट गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व गुजराज प्रान्त के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 31 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त इन्द्रपाल उर्फ तारु उर्फ गुडडू, याकेश उर्फ छोटू जनपद बुलन्दशहर से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अनूपशहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—इन्द्रपाल उर्फ तारु उर्फ गुडडू निवासी पिसाँवा जनपद अलीगढ़।
- 2—याकेश उर्फ छोटू निवासी नगला जीवाराम थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़।
- 3—यशपाल उर्फ राजा निवासी चिरौरी थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।
- 4—सचिन निवासी हारुन नगला थाना दादों जनपद अलीगढ़।
- 5—संजय निवासी ऐचोरा जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

- 1-लूट के 13 लाख 30 हजार रुपये नगद।
- 2-भारी मात्रा में पीली-सफेद धातु के आभूषण, सिक्के।
- 3-03 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।
- 4-घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना सरायमीर

- पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

● नगद रुपये

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 31.12.2025 को थाना सरायमीर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नरदह पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त लालमन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नगद रुपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सरायमीर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था

इस सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-लालमन निवासी सरैया थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या।

बरामदगी

- 1-नगद रुपये।
- 2-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

● 03 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 09 मोटर साइकिल व पार्टस आदि बरामद

दिनांक 31.12.2025 को थाना सेक्टर-113 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एफएनजी सर्विस रोड ग्रीन बेल्ट सेक्टर-123 के पास से 03 अभियुक्तों 1-फूल सिंह उर्फ मोनू, 2-राजेन्द्र उर्फ छोटे, 3-राजपाल उर्फ भोला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल व पार्टस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-फूल सिंह उर्फ मोनू निवासी ग्राम सिहोरा थाना जुनावई जनपद सम्भल, हालपता ग्राम बबराला थाना बबराला जनपद सम्भल।
- 2-राजेन्द्र उर्फ छोटे निवासी वार्ड नं0-3 नई कालोनी दहगवां थाना जरीफनगर जनपद बदायूं।
- 3-राजपाल उर्फ भोला निवासी अम्बेडकर कालोनी नई बस्ती दहगवां थाना जरीफनगर जनपद बदायूं।

बरामदगी

- 1-चोरी की 09 मोटर साइकिल व पार्टस आदि।
-